



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 22 सितम्बर, 2021 ई०

भाद्रपद 31, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 254/XXXVI (3)/2021/48(1)/2021

देहरादून, 22 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021’ पर दिनांक 18 सितम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 20 वर्ष, 2021 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 20, वर्ष 2021)

डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | |
|------------------------------|--|
| संक्षिप्त नाम
और प्रारम्भ | 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डी आई टी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| अधिनियम में
संशोधन | 2. डी आई टी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में:-

(i) "इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट स्टडीज" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "यूनिसन एजुकेशन फाउंडेशन" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "21 न्यू कैंट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून-248001" अंकों शब्दों और चिह्नों के स्थान पर "तृतीय तल, प्रशासनिक ब्लॉक, आई एम एस यूनिसन विश्वविद्यालय, ग्राम मक्कावाला, उत्तराखण्ड-248009" शब्द, अंक और चिह्न रख दिये जायेंगे। |
| व्यावृत्ति | 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी। |

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

यूनिसन एजुकेशन फाउण्डेशन के बैनर तले शिक्षा संस्थानों को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित एवं स्थापित करने के उद्देश्य से डी आई टी विश्वविद्यालय की प्रायोजिक संस्था अपना नाम यूनिसन एजुकेशन फाउण्डेशन करती है, उक्त विश्वविद्यालय की प्रायोजिक संस्था के नाम में संशोधन किया जाना समीचीन है।

2- प्रस्तावित विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

डा० धन सिंह रावत
मंत्री